

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ-भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ-31-06/2015/27-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक अगस्त 2015

उपाध्यक्ष

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

नर्मदा भवन, भोपाल ।

विषय:-ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के बांये एवं दांये तट पर चार घाटों के निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत।

संदर्भ:-सचिव, न0नि0मं0का पत्र क्र0 172/5104/27/न.नि.मं/15 दिनांक 10.07.2015

नर्मदा नियंत्रण मंडल की 51 वीं बैठक दिनांक 09.07.2015 में ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के बांये एवं दांये तट पर चार घाटों के निर्माण कार्यों में होने वाले व्यय हेतु राशि रुपये 938.23 लाख (रुपये नौ करोड अड़तीस लाख तेईस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2/ अतः राज्य शासन एतद द्वारा ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के बांये एवं दांये तट पर चार घाटों के निर्माण कार्यों में होने वाले व्यय हेतु राशि रुपये 938.23 लाख (रुपये नौ करोड अड़तीस लाख तेईस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

3/ उपरोक्त व्यय सिंहस्थ 2016 मद में मांग संख्या 71 शीर्ष 4217 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2015

क्रमांक एफ-31-06/2015/27-1
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 3. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 4. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 5. आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन।
 6. सदस्य अभियांत्रिकी/वित्त/पर्यावरण एवं वन न.घा.वि.प्रा. भोपाल।
 7. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, भोपाल।
 8. महालेखाकार मध्यप्रदेश भोपाल/ग्वालियर।
 9. सचिव, नर्मदा नियंत्रण मंडल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,, भोपाल।
 10. मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजना इन्दौर।
 11. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल की ओर उक्त आदेश बेवसाइट पर दर्ज कराने हेतु अग्रेषित।
 12. आर्डर बुक।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग